अध्याय : चतुर्थ

स्वाधीनता आन्दोलन:

1– अधिकारों के लिए संघर्ष (1916)

पटेल गाँधी सम्बन्ध एक यात्रा :

अपने प्रारम्भिक जीवन में सरदार गाँधी से परिचित होते हुए भी विशेष प्रभावित नहीं रहें। वे सन् 1915 में अहमदाबाद के गुजरात क्लब में गाँधी के भाषण की उपेक्षा करते हुए ब्रिज खेलते रहे। परन्तु दो वर्ष बाद अप्रैल 1917 का चम्पारन का अहिंसक प्रतिरोध एवं सत्याग्रह गाँधीवादी नव विधा का देश की राजनीति में एक अनूठा प्रयोग था, जिसने सरदार को वैचारिक चिन्तन की प्ररेणा दी। धीरे–धीरे गाँधीजी के सम्पर्क ने उन्हें झकझोरा और महात्मा गाँधी की जादुई छड़ी से घूमते–घूमते वे एक महात्वाकांक्षी वकील से समर्पित राष्ट्रवादी नेता बन गयें।[1]

प्लेग, अकाल, इंफ्लूएंजा आदि विपत्ति काल में वे राहत कार्यो में जुटें और बेगारी की प्रथा 'वेथ' को मिलाने के लिए गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में आये। सन् 1916–18 के खेड़ा आन्दोलन की सफलता सरदार के गाँधीवादी प्रयोग की विजय थी। रौलट एक्ट के समय गाँधी द्वारा आरम्भ किये गए सत्याग्रह आन्दोलन के अवसर पर सरदार ने अहमदाबाद में उपवास, हड़ताल एवं जुलूस का सफल नेतृत्व किया। नडियाद में हुई गुजरात राजनीतिक परिषद की बैठक में 11 जुलाई 1920 को सरदार के प्रस्ताव पर ही असहयोग प्रस्ताव पर ही असहयोग प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अहमदाबाद मयूनिसिपैलिटी द्वारा असहयोग आन्दोलन, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार एवं राष्ट्रीय विद्यालय की योजना सरदार के भारी प्रयास एवं कानूनी लड़ाई से सफल हो सकी। असहयोग आन्दोलन तथा रचनात्मक कार्यक्रमों की गाँधीजी की योजना में सरदार का यह सफल प्रयोग था। चौरी–चौरा काण्ड के बाद परिवर्तनवादियों एवं अपरिवर्तनवादियों की लड़ाई में सरदार गाँधीजी के

असहयोगी विचार के समर्थक रहे।[2] नागपुर झण्डा सत्याग्रह एवं बोसरद आन्दोलन में सरकार की विजय, सत्य के प्रयोगों की ही विजय थी। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के रूप में सफाई,नगर विकास एवं जनहित के कदमों के लिए महात्मा गाँधी ने भी उन्हें साधुवाद दिया।

बारदौली सत्याग्रह में नेतृत्व करने के साथ सरदार सिद्ध गाँधीवादी एवं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता बन सके। गाँधीजी के सिद्धान्तानुरूप अहिंसक एवं सत्याग्रहपूर्ण यह आन्दोलन सफल रहा। बारडोली अभियान में सरदार की प्रायोगिकता, प्रेरणाशीलता, साधन सम्पन्नता एवं अनुगामिता के संकल्प के बारे में वर्णन करते हुए श्री के0 एम0 मुन्शी मानते है कि गाँधी द्वारा उपदेशित हीनयान गाँधीवाद था तथा सरदार ने इसे महायान गाँधीवाद बनाया। पहला सैद्धान्तिक था, दूसरा गत्यात्मक एवं प्रचारात्मक। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गाँधीवादी सफल प्रयोग के लिए सरदार का अभिनन्दन किया गया एवं महात्मा गाँधी ने उन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया।[2]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के आरम्भ होने पर रास गाँव में गिरफ्तारी के बाद साबरमती जेल में भी उन्होंने गाँधीवादी सत्याग्रह एवं उपवास के माध्यम से कैदियों को स्नान सुविधा एवं भोजन सुविधाओं के लक्ष्य में सफलता पायी। गाँधी इर्विन समझौते के समय गाँधीजी किसानों की जप्त हुई जमीन के बारे में सरदार की मन्जूरी के बिना कोई भी समझौता करने को तैयार न थे। करॉंची कांग्रेस की अध्यक्षता के समय शहीद भगत सिंह एवं उनके साथियों के बलिदान की प्रशंसा करते हुए भी इन शब्दों से अपनी गाँधीवादी धारा में आस्था प्रकट की–''इन युवकों की कार्य पद्धति के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है।[3]

महात्मा गाँधी के गोल–मेल सम्मेलन में जाने पर सरदार ही स्थिति सम्भाले रहे। इंग्लैण्ड से यूरोपीय देशों की यात्रा का निमन्त्रण मिलने पर 26 अक्टूबर 1931 के पत्र में गाँधीजी ने सरदार से ही स्वीकृति चाही कि अगर वे सहमत हो तथा संघर्श चला सकें तभी वे यह यात्रा करना चाहेंगे।

यरवदा जेल में गाँधीजी के साथ सोलह माह तक रहने पर सरदार एवं महात्मा गांधी के पारस्परिक घनिष्ठ एवं स्नेहपूर्ण सम्बन्धों में भारी वृद्धि हुई। इस काल में हुई उनकी अटूट मैत्री बड़ी पक्की हो गई। सन् 1934 में कांग्रेसियों की धारा सभाओं में जाने की स्वीकृति आदि पर गाँधीजी ने कांग्रेस से निकल जाने का फैसला किया तथा अकेले सरदार ने ही गाँधीजी के इस निर्णय का समर्थन किया।[4] कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री नरीमन एवं डॉ0 खरे के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही का गाँधीजी ने समर्थक किया। गाँधीजी की स्वीकृति से ही तथा उनकी ही गाँधीवादी आन्दोलनात्मक पद्धति अपनाते हुए देशी राज्यों की प्रजा के संघर्ष में सफलता प्राप्त की।

''सन् 1936 से सरदार अपना स्वरूप लेते है। इसमें ऐसा नहीं था कि गाँधीजी से उद्‌बोधन एवं श्रद्धा का भाव वे न रखते हों, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में यथार्थवादिता ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत की समस्याओं के लिए और अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।[5]

सन् 1940 में कांग्रेस के सामने प्रश्न था कि विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों की मदद की जाय या नहीं। कार्य समिति के अधिकांश सदस्यों एवं सरदार का मन था कि सत्य और अहिंसा की नीति स्वराज्य प्राप्ति के लिए है, परन्तु देश पर बाहर से हमला हो, तब इस नीति से चिपटे रहने के लिए कांग्रेस बंधी हुई नहीं है। ऐसे अवसर पर वह अहिंसा की नीति छोड़ सकती है और उसे छोड़ना भी चाहिए। भारत छोड़ो आन्दोलन छेड़ने से पूर्व मेर्रेल की सूचनानुसार गाँधीजी बम्बई अपने सर्वाधिक विश्वस्त साथी सरदार पटेल एवं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद से परामर्श करने गए। इस बार उन्होंने श्री नेहरू या राजा जी से विचार–विमर्श नहीं किया।[6]

इस आन्दोलन को नव दिशा देते हुए गाँधीवादी दायरे से कुछ निकलकर परिस्थितिनुसार जो कुछ सूझे वैसा करने की प्रेरणा देने हेतु भी सरदार बाध्य हुए। वाइकेंडर ने अपनी जॉच रिर्पोट में हिंसक आन्दोलनात्मक स्वरूप को दोषी ठहराया।

2–माण्टेन्यू चूम्सफोर्ड रिफार्म्स और 1919

सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी के अनुसार 1919 का ''रोलेट कानून'' असहयोग आन्दोलन का जन्मदाता था। स्वतंत्रता, न्याय तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों के विपरीत काले कानून का विरोध के लिए 24 फरवरी 1919 को बम्बई में गाँधीजी सत्याग्रह शपथपत्र पर गाँधी जी के पश्चात् दूसरे नम्बर पर वल्लभभाई के हस्ताक्षर थे।[7] 30 मार्च 1919 का एक दिन पूरे देश में हड़ताल के लिए निर्णय किया गया। बाद में यह तिथि बदलकर 6 अप्रैल तय की गई, परन्तु इस परिवर्तन की सूचना ठीक समय पर सबको न मिल सकी 6 अप्रैल को काला दिवस मनाया गया। उस दिन पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद में विशाल जुलूस निकाला गया तथा एक जनसभा हुई जिसको सम्बोधित करते हुए पटेल ने– प्रतिक्रियावादी रोलट कानून की आलोचना की जो अहमदाबाद के इतिहास में अपूर्व और अद्वितीय था। इसके बाद आम सभा हुई और सभा समाप्ति के बाद वल्लभभाई ने सरकार द्वारा जब्त पुस्तकों को स्वयं बेंचकर कानून भंग किया और सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गुजराती भाषा में सर्वोदय प्रकाशित की। 07 अप्रैल से सरकार की अनुमति के बिना ही जो प्रेस एक्ट के अनुसार आवश्यक होती है, वल्लभभाई ने ''सत्याग्रह'' पत्रिका निकाली। पत्रिका का सारा कार्य वे अपने घर पर ही करते थे। उधर दिल्ली में भीषण दंगा हो गया जिसके कारण महात्मा जी दिल्ली जा रहे थे कि उन्हें मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता भड़क उठी और देश के अन्य भागों में भी दंगे होने लगे। अहमदाबाद में भी यह आग भड़की और 10 अप्रैल को भारी दंगा हो गया। यदपि दंगों को शान्त करने हेतु वल्लभभाई तथा डॉ0 कानूनगोने अथक प्रयास किये, परन्तु सरकार ने उन पर दोष लगाया। वल्लभभाई तथा अन्य वकीलों को जिन्होनें सत्याग्रह शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर किये थे, सरकार द्वारा नोटिस दिया गया कि.....उन्हें वकालत करने से वंचित कर दिया जाए। सर चिमनलाल शीतल बाड़ उनकी ओर से उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जिसने चेतावनी देकर उन्हें क्षमा कर दिया । अहमदाबाद में दंगों–नडियाद इलाके में

.....इन भी उखाड़ी गयी थी, जिसके आरोप में कुछ निरपराध व्यक्तियों को पकड़ गया था। इन अभियुक्तों की ओर से वल्लभभाई ने तन, मन और धन तीनों ही प्रकार से सहायता की। मुकदमा लड़ा स्वयं अदालत में काला चोंगा पहनकर पैरवी की और उन्हें मुक्ति दिलाई। वल्लभभाई की वकालत का यह अन्तिम मुकदमा था।

1919 में जो घटनायें 6 अप्रैल से प्रारम्भ हुई थी उनका अन्त 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकाण्ड के रूप में हुआ। गाँधी जी देश में हो रहे इस बर्बर हिंसा काण्ड और उससे उत्पन्न परिस्थिति पर बेहद दुःखी थे और ब्रिटिश शासन की इस बर्बरता का सदा–सर्वदा के लिए अन्त करने को व्यग्र हो उठे थे। अतः इन्होनें सरकार के साथ अपने आगामी कदम के रूप में सर्वप्रथम ''असहयोग ''कार्यक्रम की घोषणा की और तद्नुसार उन्होनें 1 अगस्त को ''बोअर वार मेडल'' जुलवार मेडल और ''केसरे हिन्द'' पदक जो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की सेवाओं के उपलब्ध में प्राप्त हुए थे, वाइसराय को लौटाकर असहयोग का अपना कार्यक्रम आरम्भ किया। 15 मई 1920 को तुर्किस्तान के साथ सन्धि की शर्ते प्रकाशित हुई।[8] दो दिन उपरान्त गाँधी जी ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर मुसलमानों को परामर्श दिया कि ''असहयोग ही एक मात्र उपाय है।'' 28 मई बम्बई में केन्द्रीय खिलाफत समिति ने गाँधी जी के असहयोग के परार्मश को स्वीकार किया। उसी दिन हण्टर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो निराशाजनक थी। 30 मई 1920 को कांग्रेस महासमिति की बैठक बनारस में हुई जिसमें हंटर कमेटी की रिपोर्ट पर भारत की ओर से क्रोध प्रकट किया गया। 2 जून 1920 को इलाहाबाद में हिन्दू व मुस्लिम नेताओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें असहयोग की नीति अपनाने का निश्चय किया गया और कार्यक्रम बनाने के लिए गाँधी जी तथा कुछ मुसलमान नेताओं की एक समिति बनाई गयी। 11 जुलाई 1920 को गुजरात राजनैतिक परिषद की बैठक नाडियार में हुई। उसमें सर्वप्रथम वल्लभभाई के प्रस्ताव पर सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव द्वारा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने का

भी निर्णय किया गया जिसकी स्थापना के साथ ही वल्लभभाई ने उनका सदा पोषण भी किया। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आन्दोलन चलाने का कार्यक्रम घोषित किया।[9]

3–महाड़ चौवदार तालाब सत्याग्रह 1927:–

जुलाई 1927 में गुजरात के अहमदाबाद, खेड़ा, बड़ोदा और भड़ौच जिलों में आंधी–तुफान के साथ लगातार छः दिनों की मूसलाधार वर्षा के कारण भीषण बाढ़ आ गई। इससे जन–धन की हानि तो हुई ही, इस क्षेत्र का सामान्य जन–जीवन भी तहस–नहस हो गया। जल में डूबे हुए भू–भागों के भयंकर दृश्य को देखकर ऐसा लगता था, मानों जल–प्रलय आ गया हो। उस समय वल्लभभाई अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे। वे अध्यक्ष होने के साथ ही गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष होने के नाते अपनी दोहरी जिम्मेदारी का अच्छी तरह विचार कर लिया और सहायता के कार्य में जुट गये। अब तक गुजरात का वल्लभभाई आह्वान किया था। म्युनिसिपैलिटी के समस्त कर्मचारियों के सहयोग से उन्होनें अहमदाबाद शहर में घर–घर घूमकर पानी के निकास के रास्ते साफ किये, कमजोर मकानों को छोटे–बड़े टेके लगाये।[10] जहाँ बाढ़ का पानी भर गया था, गरीब लोगों को निकाल कर रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया और हजारों के लिए खाने–पीने का प्रबन्ध किया। अहमदाबाद में सेवाधर्म की दीक्षा लिया हुआ कोई देवदूत उतर आया हो, इस प्रकार वल्लभभाई जात–पॉत, धर्म–पंथ साथी विरोधी, प्रिय–अप्रिय के किसी भेद–भाव के बिना सबकी सहायता करते रहे। यह जान पड़ता था कि ब्रिटिश सिंह से लड़ने वाले पुरूष सिंह वल्लभभाई और उनकी बहादुरी पर नाज करने वाली गुजरात की प्रजा की परीक्षा के लिए प्रकृति ने प्रकोप का प्रपंच रचा। इस भयानक संकट के दिनों में वल्लभभाई ने अहमदाबाद के साथ घूम–घूमकर दिन रात कर दिया। वल्लभभाई ने बाढ़–पीड़ित जनता की सहायता की इतनी सुन्दर व्यवस्था की कि हजारों का समान वल्लभभाई को सौंपने वाले दाताओं

को आत्म संतोष हुआ कि ईश्वर ने योग्य पुरूष को हमारी मदद के लिए भेज दिया।[11]

वल्लभभाई तो दूरदर्शी पुरुष थे। उस समय श्री विट्ठलभाई पटेल दिल्ली की केन्द्रीय असेम्बली के सेनापति थे। उन्हें वल्लभभाई ने पत्र लिखा। श्री विट्ठलभाई पत्र पाकर गुजरात दौड़े और इस संकट के समय में गुजरात को अपनी सेवाएँ अर्पित करने वे दो महीने नडियाद में रहे। इतना ही नहीं, वायसरॉय लार्ड इर्विन को आग्रहपूर्वक गुजरात बुलाकर प्रकृति की विनाशलीला का दृश्य दिखाया। वायसराय यहाँ वल्लभभाई द्वारा किए जा रहे उत्साहपूर्ण प्रयत्नों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरकार के अकाल–कोष से गुजरात के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक करोड़ रुपये की राशि उनके हाथों में सौप दी। इस काम की व्यवस्था के लिए सहयोगी और असहयोगी सरकारी और असरकारी सब तरह के कार्यकुशल लोगों का एक दल एकत्र किया छोटी–बड़ी समितियों की रचना की और छः माह के भीतर सर्वत्र गिरे हुए मकान खड़े होने लगे। इस बाढ़ के समय गाँधी जी बंगलौर में बीमार पड़े थे।[12] उन्होनें वल्लभभाई को तार देकर पूछा ''क्या मैं आऊँ'' इस पर वल्लभभाई ने जिस विश्वास से उत्तर दिया वह उत्तर इस प्रकार था : आप हमकों दस वर्ष से शिक्षा दे रहे हैं। उसका हमने कितना पालन किया है तथा उसको हम किस प्रकार कार्य रूप में परिणित कर रहे हैं यह देखना हो तो आइए।''[13]

गाँधी जी की वर्षो की तालीम जो गुजरात और उसके नेता वल्लभभाई ने आत्मसात की थी, उसी का परिणाम था कि मानव के पराक्रम को पराजित करने वाले प्रकृति ने इस प्रकोप को भी गुजरात पार कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया।[14]

वल्लभभाई के इस योग्यतम और उच्चतम सेवा कार्य को सारे देश ने सराहा। सरकार ने भी उनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। इन दिनों सरकार ने मि0 गैरेट नामक एक सज्जन को बाढ़ निवारण का विशेष आफिसर नियुक्त

किया था। वे वल्लभभाई के कार्य प्रणाली एवं कार्य पटुता तथा कार्यकर्त्ताओं की लगन एवं निस्पृह उद्योगशीलता में बड़े प्रभावित थे। उन्होनें वल्लभभाई से पूछा–''इस कार्य में आपके और आपके साथियों के इतने अच्छे योगदान के लिए सरकार से कोई तमगे प्रदान करने की मैं सिफारिश करूँ तो आपलोगों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी?'' वल्लभभाई मि0 गैरेट के इस कथन के साथ ही खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले–''मेरे साथी आपके तमंगों से कोसों दूर भागने वाले हैं। उन्हें सेवा कार्य में ही आनन्द आता है।[15] उन्हें तो कीर्ति या विज्ञापन भी नहीं चाहिए।''

इस कार्य का समग्र गुजरात की जनता पर गहरा नैतिक प्रभाव पड़ा और उसने जीवन का नया अनुभव प्राप्त किया। यह बाढ़ संकट भी मानो गुजरात के लोगों के लिए आशीर्वाद बन आया। उसने प्रजाकीय जीवन के नये–नये पाठ उसे सिखाये। इतना ही नहीं इस बार उसने एक ऐसी नई प्रणाली को जन्म दिया जिसका लाभ आगे बिहार में आए भयंकर भूकम्प के समय वहाँ के सुयोग्य और अनुभवी कार्यकत्ताओं से वहाँ की जनता को मिला। गाँधी जी ने सेवाभावना की इस विजय को सत्य और अहिंसा का सम्पूर्ण विजय माना था।[16]

4–कालाराम मन्दिर एवं नासिक मे सत्याग्रह –

सन 1926 से लगातार पाच वर्ष तक डा0 अम्बेडकर अछूतों के साथ जगह जगह जाकर सत्याग्रह करते रहे नासिक में हिन्दुओं का जो सबसे पवित्र मंदिर है वह है काला राम मंदिर ।[17] इस मंदिर में घुसने के लिए अछूत लगातार पांच वर्ष तक सत्याग्रह करते रहे। आज तक इतिहास में कहीं भी सत्याग्रह पांच वर्ष तक लगातार करने का दृष्टांत नहीं मिलता। यह केवल अछूतों का ही दम था कि वे लगातार पांच वर्ष तक लगातार सत्याग्रह करते रहे। इसी सत्याग्रह के अवसर पर सब कुछ सिखों ने अछूत सत्याग्रहियों के लिए भोजन का इंतजाम तब किया तो गांधीजी ने उन सिक्खों की भर्त्सना की।[18]

अछूत इस महापवित्र मंदिर में घुसने का अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इसके विरूद्ध हिन्दू उन्हे मंदिर में घुसने ही नहीं देना चाहते थे। इसके अतिरिक्त अछूत कालाराम की रथ यात्रा का जलूस भी निकालना चाहते थे। हर प्रकार से हिन्दू उनका विरोध कर रहे थे। कालाराम मंदिर का हर वर्ष एक वार्षिक मेला लगता है सन 1926, 1927,1928 व 1929 तक लगातार अछूत इस वार्षिक रथयात्रा के अवसर पर अपने अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते किन्तु प्रत्येक वर्ष वह अपने इस प्रयास में बुरी तरह असफल रहते ।[19]

डा0 अम्वेडकर के पनपते हुए नेतृत्व को सन 1930 में अपने को विकसित करने का पूरा मौका नासिक में मिला। इस बार उनका मुख्य निशाना कालाराम मंदिर में जाना और रथयात्रा निकालना ही था। निर्भीक डा0 अम्बेडकर ने इस वार्षिक मेले पर तीस हजार अछूतों का नेतृत्व बहादुरी के साथ किया और महाड़ सत्याग्रह में डा0 अम्बेडकर का नाम अमर हो चुका था। उस समय नासिक शहर की तमाम पुलिस कालाराम मंदिर पर इकट्ठी हो गयी हिन्दुओं में भी हाहाकार मचा हुआ था। इस सूचना को पाकर नासिक के मजिस्ट्रेट ने पूरे नासिक में दफा 144 लगा दी म्युनिसिपल बोर्ड के वार्ड नं0 7 में पुलिस की दफा 42 लगा दी जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो । मजिस्ट्रेट की ओर से यह भी एलान किया गया कि कालाराम मंदिर के आस पास 100 गज की दूरी में किसी भी तीन आदमियों से अधिक का इकट्ठा होने की खास मनाही कर दी गयी।[20]

15 अप्रैल को सुबह सात बजे मंदिर के अधिकारियों ने उत्तर का दरवाजा खोल दिया। इस पर पुलिस ने कोई आपत्ति नही की मंदिर में दर्शन करने वालों का ताँता बँध गया। इसी ताँते के बीच कुछ अछूत भी आ गये उन्होने भी दरवाजे के अंदर से घुसकर मंदिर मे जाना चाहा ज्यों ही वे मंदिर के दरवाजों में घुसना चाहते थे त्यों ही उन्हे धक्का मारकर निकाल दिया गया।[21] जब वे पीछे की गली की ओर जाने लगे तब एकाएक इन अछूतों को देखकर सवर्ण हिन्दू अपनी जगह पर ही खड़े रह गये नतीजा यह हुआ कि उस गली में बहुत सी औरतें और बच्चे बंद हो गये।

पुलिस ने उन अछूतों को वहाँ से हटाने के लिए कोड़े लगाये अछूतों ने अपनी जगह से हटने से इंकार कर दिया तब तो अछूतों पर बहुत मार पड़ी जब पुलिस मारते मारते थक गयी तो इन अछूतों को गिरफ्तार कर लिया इसके बाद ही पुलिस ने यह एलान किया कि केवल बच्चे और औरतें ही मंदिर में जायेगीं और कोई नहीं जा सकेगा। यह देखकर कुछ अछूत औरतें भी हिन्दू औरतों के बीच आकर मंदिर में घुसने का प्रयत्न करने लगी। पुलिस ने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां से हट जायें। आजादी की दीवानी भला वे कब पुलिस की इस आज्ञा का पालन कर सकतीं थी। उन्होनें पुलिस को साफ जवाब दिया कि वे अपनी जगह से नहीं हटेंगी ।[22] बहुत सी औरतें उसी वक्त गिरफ्तार की गयी। पुलिस ने उन स्त्रियों के साथ जिस निर्दयता का व्यवहार किया उसकी कल्पना कर निर्दयाता का नग्न रूप भी सिहर उठता है। पुलिस ने दफा 144 को भंग करके हिन्दुओं के जत्थों को मंदिर के अंदर जाने दिया इसके विपरीत अछूत तीन–तीन की संख्या में मंदिर में जाना चाहते थे लेकिन फिर भी उन पर अत्याचार किया गया अपनी आंखों से देखे हुए इन अत्याचारों का वर्णन करते हुए एक सत्याग्रही ने कहा था–पुलिस ने सत्याग्रहियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया पुलिस ने सत्याग्रहियों को लातों घूसों से मारा जिसकी बजह से अछूतों में आतंक छा गया। अछूत औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया जिनकी बेइज्जती भी की गयी।[23]

दूसरे दिन रथयात्रा का दिन था करीब 30 हजार अछूत रथयात्रा निकालने के लिए एकत्रित हो गये। हिन्दू लाठियों और पत्थरों का इंतजाम कर लिये थे। जब हिन्दुओं ने रथयात्रा का जुलूस निकाला तब तीस हजार अछूत भी अपना अपना अलग रथ यात्रा का जुलूस बनाकर चलने लगे। सदा की भांति डा0 अम्बेडकर जिन्हे उसी दिन के बाद बाबासाहेब की पदवी प्राप्त हुई अपने कुत्तों को साथ लिए हुए इन महान जुलूस का नेतृत्व करते हुए आगे आगे चले। अछूतों का यह जुलूस निकालना ही था कि मेले में खलबली मच गयी कुछ हिन्दू तो भागने लगे। लेकिन उनमें से अधिकतर जो झोले लटकाये थे उनमें पत्थर निकलकर अछूतों के जुलूस पर मारने लगे। चारों ओर हिन्दू

अछूतों पर पत्थरों की वर्षा कर रहे थे तो दूसरी ओर अछूत आगे बढते जाते थे जुलूस थोड़ी ही दूर गया था कि डा0 अम्बेडकर पर पत्थरो की इतनी जोर बौछार होने लगी कि डा0 अम्बेडकर के सारे कपड़े उन्ही के खून से रंग उठे लेकिन डा0 अम्बेडकर चलते ही गये उसी समय किसी ने डा0 साहेब से यह कहा कि जुलूस छोड़कर अलग हो जाओ तब उन्होने शेर की तरह गरजकर कहा कि वे डरकर भाग जाने से अछूतों की स्वतंत्रता के लिए लड़ते–लड़ते ही मर जाना कहीं अच्छा समझते हैं।[24]

अछूत जब गोदावरी के निकट आ गये तब उसमें कूदकर गोदावरी के पवित्र जल को अपवित्र करने लगे। गोदावरी के घाट पर उस दिन तक कोई अछूत स्नान नहीं कर पाया था किन्तु उस दिन बहुत से अछूतों ने उस घाट का प्रयोग किया उस समय गोदावरी नदी के घाट पर करीब पचास हिन्दू स्नान ध्यान और पूजा पाठ में लगे थे। अछूतों का उस घाट पर जाना ही था कि उन पर बहुत बुरी तरह से पुलिस का हमला शुरू हुआ। हजारों अछूत मातायें जब गोदावरी के जल को अपवित्र कर रही थीं तभी उन पर पुलिस के डंडो और लाठियों के हमले हुए हिन्दुओं के धर्म को बचाने के लिए पुलिस पानी में कूद पड़ी और पानी में से डंडे मार–मार कर अछूतों को पानी से अलग करने लगे। धन्य है! वह पवित्र धर्म जो पुलिस से पानी में डंडे मार मारकर अछूतपन को अलग करने का घमण्ड करता है। हिन्दुओं की दलील थी कि गोदावरी का पानी पवित्र था और उसे अछूतों को अपवित्र करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था।[25] दूसरी ओर अछूत कहते थे कि हम पवित्र है। गोदावरी में नहा कर उसे और पवित्र करेगे। दुनिया में कौन सा पहाड़ से बहता हुआ पानी है जो पवित्र नहीं ? ठीक इसी समय जब गोदावरी में नहाते हुए अछूतों को पुलिस डंडे से मार–मारकर अधमरा बना रही थी उसी समय हिन्दुओं ने भी दूसरी ओर से हमला कर दिया और निहत्थे अछूतों पर अपने घमण्ड में चूर होकर लाठियों का क्रूर प्रहार करने लगे। इसी खलबली में हिन्दुओं का मेला भी नहीं हो सका हिन्दुओं का मेला मनाना असंभव हो गया था, सैकड़ों अछूत घायल हुए। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया गया।

डॉ अम्बेडकर झट अस्पताल गये और वहाँ अपने साथियों के इलाज के लिए उचित प्रबंध कराया। इस प्रकार डा0 साहेब ने अपने भविष्य के कार्य को एक निश्चित आकार दिया।[26]

यद्यपि नासिक सत्याग्रह में अछूतों को कालाराम मंदिर में जाने का अधिकार नहीं प्राप्त हो सका तथापि इतना तो निश्चित हो गया कि अछूत अपनी भलाई के लिए संगठित हो रहे थे। इसके साथ ही नासिक सत्याग्रह ने यह भी निश्चित कर दिया कि अछूतों का भला हिन्दू समाज में किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हो सकता, उन्हें अपना धर्म बदलना होगा। इस बेहूदे धर्म से उसी प्रकार भाग खड़े हुए जिस प्रकार गुलाम अपने मालिक के घर से भाग कर निकलता है।[27]

5– साइमन कमीशन –

1928–29 प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन करने इंग्लैण्ड से सात अंग्रेज सदस्यों का एक आयोग भारत आया। सर साइमन इसके अध्यक्ष थे, अतः इसे साइमन कमीशन कहा गया।

डॉ0 अम्बेडकर दलितों के उत्थान के लिए हमेशा चिन्तित रहते व दलितों के अधिकारों की माँग उठाने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। दलितों की सामाजिक व आर्थिक बदहाली का व्यौरा साइमन कमीशन के सामने रखा। दलितों पर ढाये जा रहे अत्याचारों की घटनाओं के ठोस उदाहरण भी दिये उन्होंने कमीशन को स्मरण–पत्र पेश किया, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व प्रत्येक वयस्क को वोट डालने के अधिकार की मांग की तथा भारत के आगामी विधान में दलित लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए उपलब्ध करवायी जाये और अछूतों को अन्य सरकारी नौकरियों के साथ थल सेना, जल सेना और पुलिस में भी भर्ती किया जायें।[28]

6– गोलमेज सम्मेलन :

भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन लंदन में 12 नवंम्बर 1930 को शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार और भारतवासियों के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया डॉ0 अम्बेडकर ने इसमें अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यह एक ऐसा समागम था जिसमें मुख्य विषयों पर अपने विचार प्रकट करने थे और वे नोट किये जाने थे।[29]

डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी प्रभावशाली आवाज से अपने भाषण के शुरू में ही कहा कि वह ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के पांचवें भाग का जो कि इंग्लैण्ड या फ्रांस की जनसंख्या से भी अधिक है का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। इन लोगों की दशा पशुओं से भी गयी गुजरी है। डॉ0 अम्बेडकर ने सिंह गर्जना के साथ कहा कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम देखते है कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ समय काट रहे है ब्रिटेन से पहले छुआछूत के कारण हमारी दशा घृणापूर्ण थी क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे दूर करने के लिए कुछ किया। इस सरकार से पहले हम कूओं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें पानी भरने का अधिकार प्राप्त करवा दिया। ब्रिटिश सरकार से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अब हम प्रवेश कर सकते है? ब्रिटेन से पहले हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अब हमारे लिए पुलिस या सेना में भर्ती के द्वार खुले है।[30] इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में नही दिया जा सकता। पराकाष्ठाओं के घाव हमेशा रिसते रहते हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन को 150 वर्षो से अधिक समय बीत चुका है ऐसी सरकार का किसी को क्या लाभ? डॉ0 अम्बेडकर ने मांग की कि दलित वर्गों को दूसरे नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिये जायें, कानून में किसी प्रकार का भेदभाव व ऊँच नीच एकदम समाप्त किये जायें दलित वर्गों को विधानसभाओं में अपने

प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा स्वयं चुनने की छूट हो और दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाये और कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किये जायें।[31]

जिस निर्भयता से डॉ0 अम्बेडकर गरजे, जिस विद्वतापूर्ण ढंग के साथ उन्होंने सरकार की आलोचना की और जिस दर्द भरी आवाज के साथ उन्होने भारत के करोड़ों गरीबों और लाचारों की दुदर्शा का वर्णन किया इससे पूरी कान्फ्रेंस पर अमिट प्रभाव पड़ा। कान्फ्रेंस में सबसे अधिक प्रसन्न थे महाराजा बड़ौदा, जिन्होने बाबा साहब को शिक्षा प्राप्ति के लिए आर्थिक सहायता दी थी वे तो फूले नहीं समाते थे।[32]

समाचार पत्रों पर भी डॉ0 अम्बेडकर के भाषण का बहुत प्रभाव पड़ा दि इंडियन डेली मेन ने तो यहाँ तक प्रशंसा की कि समूची कान्फ्रेंस में डॉ0 अम्बेडकर का भाषण सर्वोत्तम भाषण था। भाषण का मिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों ने दलित वर्ग और डॉ0 अम्बेडकर की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया।[33]

डॉ0 अम्बेडकर ने इस गोलमेज कान्फ्रेंस की अवधि के दौरान लन्दन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने समाचार–पत्रों को लेख भेजे, सभाएं की व प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से मिले। बाबा साहेब के कठोर परिश्रम का फल यह निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत चिंतनीय है। कई अंग्रेज नेताओं का हृदय पिघल गया। लार्ड सॉकी ने वायदा किया कि दलित वर्गो को भारत के अन्य निवासियों के समान रखा जायेगा।[34] गोलमेज सम्मेलन में डॉ0 अम्बेडकर ने जो भाषण दिये व अपनी माँगें रखी। भारत में उनकी प्रतिक्रिया होने लगी। पुलिस विभाग ने दलित वर्गों के लिए भर्ती खोल दी। डॉ0 अम्बेडकर अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरे।[35] दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया, यहाँ इनका दलित प्रेम का मुखौटा बखूबी उतरा। दलितों के पृथक निवार्चन की डॉ0 अम्बेडकर के मांग का गांधी जी ने खुलकर विरोध किया

जबकि मुसलमानों और इसाईयों को मिले इसी अधिकार का उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होने मुसलमानों को भी दलितो की मांग विरोध करने के लिए उकसाया।[36] बहुत से वैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर कान्फ्रेंस में बहस हो रही थी। गांधीजी बढ़–चढ कर खोखली बातें करते रहे परन्तु उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचाार नहीं था। ऊपर से सम्मेलन के दौरान उनका अहंकारी और अड़ियल रूख आलोचना का विषय बना। जहां तक ज्ञान का प्रश्न है गांधी जी थोथे सिद्ध हुए। गांधी जी की भूमिका से स्वयं सरदार बल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी भी निराश थे।

5 नवम्बर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया इस भोज में डॉ0 अम्बेडकर ने भारत के अछूतों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों में आंसू आ गये। सम्राट ने डॉ0 अम्बेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा उन्होंने उच्च शिक्षा कहा और किस प्रकार प्राप्त की थी। इस पड़ाव तक वह किस प्रकार पहुँचे। ऐसे कई प्रश्न पूछे। सम्राट डॉ0 अम्बेडकर की विद्वतापूर्ण वक्तव्यों से बहुत प्रभावित हुए।[37]

7– पूना पैक्ट

गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट पर कम्यूनल एवार्ड के रूप में अछूतों को पृथक निवार्चन क्षेत्रों द्वारा आरक्षित सीटों का अधिकार दे दिया गया। इस एवार्ड की धारा 9 के अनुसार दलित वर्गों को अपने मतों से अपने ही में से प्रतिनिधि चुननें का अधिकार दिया गया। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का और मतदाता भी केवल दलित वर्ग के ही।[38] गांधी जी इस समय पूना की यरवदा जेल में थे, कम्यूनल एवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा रहा तो उन्होंने मरणव्रत रखने की घोषणा कर दी।

डॉ0 अम्बेडकर बयान जारी किया कि यदि गांधीजी भारत की स्वतंत्रता के लिए मरण व्रत रखते तो वह न्यायोचित था, परन्तु यह एक पीड़ादायक आश्चर्य है कि गांधीजी ने केवल अछूतों को ही अपने विरोध के लिए चुना है। जबकि भारतीय इसाईयों ,मुसलमानों और सिखों को मिले इसी (पृथक निर्वाचन के) अधिकार के बारे में गांधीजी ने कोई आपत्ति नहीं की, उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधीजी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में ऐसे अनेकों महात्मा आए और अनेकों चले गये जिनका लक्ष्य छुआछूत को समाप्त करना था। परंतु अछूत, अछूत ही रहे।[39] उन्होंने कहा कि गांधीजी के प्राण बचाने के लिए अछूतों के हितों की बलि नहीं दे सकते।

गांधीजी के प्राणों पर भारी संकट आ पड़ा। पूरा हिंदू समाज डॉ0 अम्बेडकर का दुश्मन हुए जा रहा था। एक ओर डॉ0 अम्बेडकर से समझौते की वार्ताएं हो रही थीं तो दूसरी ओर डॉ0 अम्बेडकर को धमकियां दी जा रही थी अखबार गांधीजी की मृत्यु पर देश में दंगों की भविष्यवाणियाँ कर रहे थे। एक ओर अकेले डॉ0 अम्बेडकर अनपढ़, अचेतन और असंगठित दलित समाज तो दूसरी ओर सारा सवर्ण हिंदू समाज, कस्तूरबा गांधी व देवदास बाबा साहेब के पास आये और प्रार्थना की कि गांधीजी के प्राण बचा लें। डॉ0 अम्बेडकर की हालात उस दीपक के समान थी जो तूफान के सामने अकेला जूझ रहा था। कि उसे जलते रहना है और उसे उपेक्षित वर्गों को प्रकाश प्रदान कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाना है।[40]

24 सितम्बर 1932 को सायं पांच बजे यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉ0 अम्बेडकर साहेब के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना ऐक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में डॉ0 अम्बेडकर को कम्यूनल एवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन (जैसा कि आजकल है) पद्धति को स्वीकार करना पड़ा परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना ऐक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़वा कर 148 करवा ली साथ ही अछूतों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा

अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवायी और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया पूना पैक्ट आरक्षण का जनक बना इस समझौते (पूना पैक्ट) पर हस्ताक्षर करके डॉ0 अम्बेडकर ने गांधीजी को जीवनदान दिया।[41]

8–असहयोग आन्दोलन में योगदान :

असहयोग आन्दोलन के योजनानुसार गाँधी जी व अली बन्धुओं द्वारा देश का दौरा किया। 27–29 अगस्त 1920 को असहयोग पर विचार करने के लिए चौथी गुजरात राजनैतिक परिषद बुलाई गई। अपने स्वगताध्यपक्षी भाषण में पटेल उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जिसके कारण गुजरात राजनैतिक परिषद की बैठक समय के पूर्व बुलाई गयी। पटेल ने कहा–''खिलाफत और पंजाब के काण्डों से देश में जो गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है उसके बारे में विचार करने के लिए बनारस में कांग्रेस की महासमिति की बैठक हुई थी। इस कमेटी ने असहयोग के विषय पर खूब चर्चा की और अन्त में इस महान विषय का निर्णय करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ।[42] कमेटी ने निश्चय किया है कि कलकत्ते में अगले सप्ताह कांग्रेस के होने से पहले हिन्दुस्तान की जनता असहयोग के विषय पर खूब विचार करके अपना मत कांग्रेस को बता दें। इसलिए यह परिषद जल्दी की गई है। इस महान प्रश्न का विचार गम्भीरता के साथ होना चाहिए। राजनैतिक आन्दोलन का प्रवाह बरसों से एक ही दिशा में चला आ रहा है। ''कई कारणों से उस प्रवाह का जोर का बढ़ता गया और महायुद्ध के परिणामस्वरूप उसकी गति में बड़ी शक्ति आ गयी है। असहयोग का मार्ग प्रचलित दिशा के विरूद्ध है और बड़े जोर से चले आ रहे प्रवाह को इस दिशा में मोड़ने का प्रश्न आपके सामने पेश हुआ। असहयोग जनता और राज्य के बीच नीति, नियम और मर्यादा में रहकर चलाया जाने वाला महान युद्ध है। पटेल ने रोलेट कानून को ''व्यक्ति स्वातंत्र्य की जड़ मूल से नष्ट करने वाला कानून बताया। ''हिन्दुस्तान विस्मृत हो गया, देश में एक सिरे से दूसरे तक हाहाकार मच गया। जिस समय सारी दुनिया में

आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की बातें हो रही थी उस वक्त मुठ्ठी भर विदेशियों ने समझदारी के ठेके का दावा करके संगठित लोकमत का तिरस्कार किया और हिन्दुस्तान परतंत्रता की बेड़ियाँ पहनाने की धृष्टता की। पंजाब में अत्याचारों की चर्चा करते हुए पटेल ने कहा कि ''किसी सुधरे हुए राज्य के इतिहास में जनता पर ऐसा अत्याचार करने का उदाहरण नहीं पाया जाता।[43] वह जर्मनी द्वारा बेल्जियंम में किये गये अत्याचारों को भी भुला देता है। इन अत्याचारों की जिम्मेदारी से अपराधी अधिकारियों को बचाने की खातिर सरकार ने मुक्ति का कानून पास किया। उसके बाद उस काण्ड की जाँच करने के लिए कमेटियों के न्याय में विश्वास रखने वालों ने जनता की पुकार को शान्त कर दिया और सबको उस कमेटी पर विश्वास रखने की सलाह दी।

दोषी जनरल डायर के संबन्ध में ब्रिटिश लार्ड सभा के वाद–विवाद पर कटाक्ष करते हुए पटेल ने कहा कि ''लार्ड सभा में उमरावों ने अपनी शराफत दिखा दी। पंजाब के भारी दुःखों की हंसी उड़ायी गयी एक कायर और कमीने गोरे अफसर की इज्जत रखने के लिए सैकड़ों निरपराध मनुष्यों की हत्या को भुला दिया गया उसे बहादुर बताया गया और निर्दोष मारे गये लोगों को विद्रोही ठहराया गया। इतना होने के बाद ब्रिटिश न्याय में विश्वास कैसे किया जा सकता है? लार्ड सभा ने हिन्दुस्तान के स्वाभिमान पर जो सख्त चोट की उससे सारा हिन्दुस्तान मूर्छित हो गया देश में सर्वत्र अन्धकार छा गया, किसी को दिशा नहीं सूझी, सबके हाथ–पैर ठण्डे पड़ गये और सब विचार करने लगे कि अब क्या करें? लार्ड सभा में लार्ड सिन्हा हमें सलाह देते हैं कि बीती बात भूल जाओ। जब लार्ड सिन्हा को लार्ड बनाया गया था तब हिन्दुस्तान खुशी से पागल हो गया था। हम ब्रिटिश न्याय बुद्धि पर फिदा हो गये थे। यह साबित करता है कि राजनैतिक मामलों में हमारी कितनी अल्प दृष्टि है। एक हिन्दुस्तान को लार्ड सभा में बैठा देने से क्या हिन्दुस्तान की तकदीर खुल गई?''[45]

पटेल के अनुसार–नई पीढ़ी इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। भावी सन्तानों का हम पर कुछ तो हक है। हम उनके ट्रस्टी हैं। अगर हम उनके लिए अपमान की ही विरासत छोड़ जायँ,.....हम इस अपमान को पी जायें तो सुधरे हुए राष्ट्र का तिरस्कार करें, तो इसमें क्या आश्चर्य है? अंग्रेज जाति के साक्षी बनने का दावा भी कैसे कर सकते हैं। पटेल ने सदस्यों को परामर्श दिया कि असहयोग के सम्बन्ध में जनता में फैलाये जाने वाले भ्रामक प्रचार से दूर रहें। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के बजाय इस खतरे को लेना होगा।'' आजादी दुनिया के किस देश को असानी से मिली है? चुपचाप बैठे रहने में क्या कम खतरा हैं? मौजूदा हालत में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने मे जनता को आत्मघात के सिवाय और क्या है? नश्तर लगाये बिना जान बचना सम्भव न हो, तो अच्छा डाक्टर थोड़ा बहुत खतरा उठाकर भी नश्तर लगाने की सलाह देगा।''[46] 04 सितम्बर 1920 से कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। तीन दिन तक वाद–विवाद के उपरान्त गाँधी द्वारा प्रस्तुत असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव 884 मतों के मुकाबले 1886 मतों से पारित हुआ। इस आन्दोलन के दो प्रमुख भाग थे–नकारात्मक तथा सकारात्मक। नकारात्मक भाग के अन्तर्गत धारा सभाओं, न्यायालयों तथा शिक्षा संस्थाओं का परित्याग एवं सकारात्मक में पंचायतों, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं आदि की स्थापना सम्मिलित थी। दिसम्बर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टिकरण दी। अहमदाबाद में वकालत छोड़कर वल्लभभाई पटेल ने पूर्णरूप से अपने को कांग्रेस में समर्पित कर दिया था।[47] 28–9–1920 को अहमदाबाद के स्कूल, कालेज के विद्यार्थियों को असहयोग का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि ''कांग्रेस में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ और उसके सिलसिले में विद्यार्थियों से सरकारी पाठशालाओं और कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ देने की सिफारिश की गई है। इसलिए स्वदेशाभिमान और स्वाभिमान चाहने वाले सब छात्रों को अब उस प्रस्ताव पर अमल करना है। आपने यह भी जान लिया होगा कि पंजाब प्रान्त में विद्यार्थियों को अकारण कैसे असहाय कष्ट सहने पड़े हैं। कुछ अकारण स्कूलों कॉलेजों,

से निकाल दिये गये है। इस किस्म की शासन नीति चलाने वालों की देख–रेख में दी जाने वाली शिक्षा लेना अब आप बन्द कर दें। इसी में आपके स्वाभिमान की रक्षा है। जब से आप अपना स्कूल या कॉलेज छोड़ेंगे, तभी से अपने शिक्षकों को शिक्षा का पाठ पढ़ा सकेंगे। छात्रों को सरकारी कॉलेजों तथा स्कूलों को छोंड़ देना चाहिए। असहयोग युद्ध की विभीषिका बज रही है। लड़ाई छिड़ गई है। ऐसे समय ''मैं क्या करूँगा? ''या''मेरा क्या होगा?इस तरह के नामर्दी भरे विचारों पर ध्यान न देकर सबको उसमें कूद पड़ना चाहिए और यथा शक्ति सहायता देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको यही करना चाहिए। 29.9.1921 को वर्तमान परिस्थिति और असहयोग पर भोड़सा निवासियों को सम्बोधित करते हुए पटेल ने अपने विचार प्रकट किये कि देश के सम्मान के लिए हिन्दुस्तान में अपना राज्य होना चाहिए। उन्होने कहा–''हमें दूसरे पर राज्य नहीं करना है। परन्तु जैसे फ्रांसीसी लोग फ्रांस में राज्य करते है, जर्मन लोग जर्मनी में और इटली वाले इटली में करते हैं, उसी तरह हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग हिन्दुस्तान में राज्य करें। आज तो हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी हिन्दू हो या मुसलमान, सारी दुनियाँ में इज्जत के साथ कदम नहीं रख सकता। इसलिए हमारे नेताओं ने इक्कठे होकर तय किया कि हमें अपना राज्य करना है। पटेल ने लोगों को सरकारी शिक्षा संस्थाओं, सरकारी अदालतों, धारा सभाओं तथा विदेशी कपड़ों से मुक्त होने की सलाह दी। 31.05.1921 तथा 01.06.1921 को भड़ौच में हुई पाँचवी गुजरात राजनैतिक परिषद में सभापति पद से भाषण देते हुए पटेल ने स्वराज्य के वास्तविक अर्थ की चर्चा की और कहा–'' हम जैसा स्वराज्य चाहते हैं जिसमें सैकड़ों आदमी सूखी रोटी के अभाव में मरते न हो, जिसमें पसीना बहाकर पैदा किया हुआ अनाज किसानों के बच्चों के मुँह से छीनकर विदेश न भेज दिया जाता हो, जिसमें जनता की इज्जत की रक्षा या उसका लुटना विदेशियों की मर्जी पर न हो, जिसमें स्वराज्य की धारा सभा का अध्यक्ष विदेशी 'विग' या 'चोगा' न पहनता हो और जिसमें स्वदेशी (गाँधी) टोपी पहनने पर नौकरी छूटने का डर न हो।[48] स्वराज्य में स्वदेशी कपड़ा पहनना ही जनता का

स्वाभाविक धर्म माना जाएगा। हमारे स्वराज्य में थोड़े से विदेशियों की सुविधा के लिए विदेशी भाषा में राजकाज नहीं होगा। हमारे विचार और शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं होगी। हमारे विद्यालयों में आचार्य विदेशी नहीं होंगे। राज्य का कामकाज जमीन और आसमान के बीच पृथ्वी तल से सात हजार फुट ऊँचे से नहीं होगा। स्वराज्य में ऐसी हालत नहीं होगी कि महान देशभक्तों की स्वतन्त्रता तो भले खतरे में हो, परन्तु शराबियों की आजादी की रक्षा करने के लिए खास चिंता रखी जाये। हमारे स्वराज्य में यह नहीं होगा कि घर में पैदा होने वाली महुए जैसी खाने के काम आने वाली चीज पर नियत्रंण रखा जाय और सरकार उस महुए की शराब बनाकर उसका व्यापार करती हो इतना ही नहीं बल्कि उसमें लाखों रुपये की विस्की की शराब विदेश से आजादी के साथ ही आ सकेगी। इन सबसे विशेष बात तो यह होगी कि जब हमारा स्वराज्य होगा, तब हम अपने देश में और विदेशों में भी जहाँ–तहाँ दुतकारे नहीं जायेंगे।[49]

गाँधी जी के अन्य रचनात्मक कार्यों का समर्थन करते हुए पटेल ने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का एक कलंक बताया। ''वह धर्म के बहाने चलने वाला एक ढोंग है। हमें उसे मिटाना ही पड़ेगा।'' पटेल ने हिन्दू–मुसलमानों की एकता को एक कोमल पौधा बताया जिसे ''कितने ही समय तक अत्यन्त सावधानी से पालन करना पड़ेगा। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को विश्व की अशान्ति की जड़ बताया तथा चेतावनी दी कि ''यदि हिन्दुस्तान इस सभ्यता की दौड़ में भाग लेगा तो हमेशा पीछे ही रहेगा।'' 18 सितम्बर 1921 को अहमदाबाद में विदेशी कपडों की होली मनाई गई। उस अवसर पर पटेल ने कहा कि ''विदेशी कपड़ों की होली मनाई जाने के निश्चय से ही लंका शायर में खलबली मच गई।'' जनता को युद्ध भावना से ही विदेशी कपड़े का हमेशा के लिए बहिष्कार करना होगा। पटेल के अनुसार स्वराज्य कब तक मिलेगा यह प्रश्न जनता की इच्छा शक्ति, संयम और त्याग पर निर्भर करता है। दिसम्बर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष के रुप में पटेल

ने भाषण करते हुए तात्कालिक परिस्थिति को जनता की परीक्षा की घड़ी बताया। उन्होंने सहिष्णुता को अहिंसा का प्राण कहा तथा खेद प्रकट किया कि वकालत छोड़ने धारा, सभाओं तथा सरकारी शिक्षण संस्थाओं को छोड़ने में हम गर्व करने लायक कुछ नहीं दिखा सके। अहमदाबाद अधिवेशन में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रुप से असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया तथा गाँधी जी को सम्पूर्ण अधिकार दे दिये गये। बारडोली की सत्याग्रह प्रारम्भ करने के लिए स्थान चुना गया जहाँ आन्दोलन की तैयारी पटेल के नेतृत्व में होने लगी। 05 फरवरी को चौरी–चौरा काण्ड के उपरान्त 12 फरवरी 1922 को गाँधी जी के परामर्श पर कांग्रेस कार्यसमिति ने आन्दोलन स्थगित करने का निष्चय किया। नेहरु,लाजपत राय, सुभाषचन्द्र बोस ने गाँधी जी के निर्णय की तीव्र आलोचना की। यद्यपि वल्लभभाई गाँधी जी के निर्णय से सन्तुष्ट न थे पर एक सच्चे सिपाही के रुप में उन्होंने गाँधी जी के निर्णय का समर्थन किया। आन्दोलन स्थगित करने के दूसरे ही दिन गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 18 मार्च को उन्हें अहमदाबाद न्यायालय द्वारा 6 वर्ष की सजा दी गयी। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पटेल ने जनता को दिसम्बर से पूर्व स्वराज्य का स्वप्न पूरा न होने पर निराश न होने का परामर्श दिया। गाँधी जी के कारावास के उपरान्त जनता में उनके प्रति प्रेम तथा स्वराज्य हेतु चेतना गाँधी जी की सबसे बड़ी पूंजी थी। पटेल ने कहा ''अगर वे गाँधी जी की अंहिसा वृत्ति, उनके प्रेम, उनकी ममता, उनकी स्वराज्य की लगन और उनके परिश्रम को अपनी नजर के सामने रखकर दिन–रात परिश्रम करेंगें और गाँधी जी को तैयार करके दिया हुआ स्वराज्य का चतुर्मुखी कार्यक्रम पूरा करेंगे तो वे अपनी सारी कमियों को पूरा करके गाँधी जी के नाम को और अपनी वफादारी को चमकायेंगे।''[50]

9– क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आन्दोलन में पटेल एवं अम्बेडकर का योगदान :–

युद्ध की बिगड़ती स्थिति तथा जापान के संकट के कारण अमरीकी राष्ट्रपति रूजबेल्ट, च्यांग, काईशेक और ब्रिटेन के दूसरे सहयोगियों ने ब्रिटेन पर दबाव डाला, भारतीय गतिरोध को दूर किया जाये। अतः 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने हाउस ऑफ कामर्स में घोषित किया कि भारतीय समस्या के समाधान के लिए सर स्टेफर्ड, क्रिप्स भारत जायेंगे। अम्बेडकर राष्ट्रीय आजादी से अधिक सामाजिक आजादी पर बल देते थे। सामाजिक समानता पर आधारित समाज बहुत दिनों तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है। भारत मात्र दो हजार वर्ष से अधिक अवधि तक गुलाम रहा है तो यह इसका प्रमाण है कि इस देश में सभी तरह की समानता का घोर अभाव है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी तरह की सामाजिक असमानता का अपने चरित्र में धारित करने वाला राष्ट्र बहुत दिनों तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है।[51]

सामाजिक न्याय का अर्थ विनती से प्रदान करना भारत रत्न डॉ0 अम्बेडकर का जीवन लक्ष्य था। अतः डॉ0 अम्बेडकर की सारी रचनायें इसकी घोषणा करती हुई प्रतीत होती थी। उन्होंने अपने मांग पत्र मैगनाकार्टा आफ द हैव नॉट्स में कहा है कि नागरिकों के जीवन में बिना किसी भेदभाव के स्वाधीनता अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी हो शोषित वर्ग को विशेष अवसर प्रदान किया जाये ताकि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमता समाप्त की जा सके। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। सामाजिक न्याय को वे साम्यवादियों के सामाजिक न्याय के चश्मे से नहीं देखते थे। वे कहते हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी को समान अवसर मिले और प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया जाये इसके लिए उन्होने हिंदू समाज से जाति प्रथा के निर्मूलीकरण को आवश्यक बताया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की विरूपता यह है कि यहाँ योग्यता के आधार पर अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाते बल्कि

यहाँ जाति के आधार पर अवसर की उपलब्धता अवलंबित है।[52] दूसरे शब्दों में भारत में जाति ही योग्यता का मापदण्ड है।

मनुष्य के जीवन में प्रकाश तथा स्वतंत्रता की संचार करने वाली शिक्षा को बाबा साहब जीवन के लिए मशाल मानते हैं। शिक्षा के मार्ग से ही स्वतंत्रता की मंजिल प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं शिक्षा एक ऐसी जरूरत है जो सबको प्राप्त होनी चाहिए जिस देश में अशिक्षितों की संख्या अधिक हो मानना चाहिए वह देश उतना ही ज्यादा विपन्न तथा विषम है। इसलिए बाबा साहब कहते है कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी सामाजिक असमानता को समाप्त करना है ताकि स्वतंत्रता का लाभ सबको बराबर मिल सके क्योंकि जब तक बहुत से लोग कुछ लोगों के द्वारा सामाजिक शोषण का शिकार बनाये जाते रहेंगे तब तक उनके लिए राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होगा वे तो कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है और कल भी रहेगें।[53]

❑❑❑

सन्दर्भ :

1. सेठ गोविन्ददास, ''सरदार पटेल'', पृष्ठ 100–101
2. डॉ0 पट्टभि सीतारमैय्या, ''सचमुच एक सरदार'' पृष्ठ 9
3. एफ0 आर0 मोराएश, ''सरदार पटेल'', एक शब्द चित्र, पृष्ठ 24
4. नरहरि पारीख, ''सरदार बल्लभभाई पटेल'' पहला भाग, नवजीवन अहमदाबाद, 1961, पृष्ठ 71
5. आर0 के0 मूर्ति, ''सरदार पटेल एण्ड हिज कटेम्परेरीज'', स्टार्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली 1979, पृष्ठ 112
6. के0 एम0 मुंशी का लेख ''हिज ब्रिलियन्ट फीट्स'' दिस वाज सरदार दी कममरेटिव वाल्यूम। प्रथम खण्ड, सग्या जी0 एम0 नन्दूरकर, सरदार बल्लभभाई पटेल स्मारक भवन अहमदाबाद, 1974 पृष्ठ 121
7. जे0 वी0 कृपलानी, ''गाँधी हिज लाइफ एण्ड थाट'' प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, सितम्बर 1961, पृष्ठ 117
8. नरहरि पारीख, ''सरदार बल्लभभाई'' दूसरा भाग, पृष्ठ 59
9. आर0 के0 मूर्ति, ''सरदार पटेल दि मैन एण्ड हिज कन्टेम्परेरीज'' पूर्वोत्तर, पृष्ठ 115
10. पी0 सी0 राय चौधरी, ''गाँधी एण्ड हिज कन्टेम्परेरीज'' स्टर्लिंग पब्लिशर्स जालन्धर, 1972, पृष्ठ 315
11. एम0 एस0 वेंकटरमानी एवं वी0 के0 श्रीवास्तव, ''क्वीट इण्डिया मूवमेन्ट, ''दि अमेरिकन रिसपान्स टू दि 1942 स्ट्रगल'' विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1979, पृष्ठ सं0 167
12. पी0 एन0 चोपड़ा, ''क्वीट इण्डिया मूवमेन्ट ब्रिटिश सिक्रेट रिपोर्ट थाम्सन इण्डिया लिमिटेड, फरीदाबाद, 1976, पृष्ठ सं0 15
13. आर0 सी0 मजुमदार, ''स्ट्रगल फार फ्रीडम'' भारतीय विद्या भवन बम्बई, जुलाई 1969, पृष्ठ सं0 673–674
14. आर0 के0 मूर्ति ''सरदार पटेल : दि मैन हिज कन्टेम्परेरीज'' पूर्वो पृष्ठ 730–31

15. सी0 गोपालाचारी द्वारा प्राक्कथन, ''लाईफ एण्ड वर्क आफ सरदार बल्लभभाई पटेल'' सभा पी0 डी0 सग्गी, ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।
16. वी0 के0 अहलुवालिया, ''सरदार पटेल'' ए लाइफ सागर पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 1974, पृष्ठ सं0 33
17. बारदौली सत्याग्रह में दिया गया भाषण, वही, पृष्ठ 147
18. अम्बेडकर वी0 आर0—दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी, सम्पूर्ण वांग्मय, वैल्यूम—20, पृष्ठ 131 से 137
19. दलित आन्दोलन पत्रिका 2009, पृष्ठ 8,9
20. जगमोहन पवार —डा0 भीमराव अम्बेडकर, एक परिचय— पृष्ठ 15, 19
21. बारदोली सत्याग्रह में दिया गया भाषण, वही, पृष्ठ 122
22. जी0 एम0 नन्दूरकर दिस बाज सरदार ''दि कमोरेटिव वाल्यूम' (अहमदाबाद 1947) वही, पृष्ठ 112
23. अम्बेडकर वी0आर0—दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी सम्पूर्ण वाग्मयः वैल्यूम—20 पृष्ठ 131 से 137
24. दलित आन्दोलन पत्रिका 2009, पृष्ठ 8,9
25. जगमोहन पवार—डा0 भीमराव अम्बेडकर, एक परिचय— पृष्ट 15, 19
26. दलित आन्दोलन पत्रिका 2011, पृष्ठ 5
27. दलित आन्दोलन पत्रिका 2008, पृष्ठ 3
28. दलित आन्दोलन पत्रिका 2010, पृष्ठ 4
29. दलित आन्दोलन पत्रिका 2009, पृष्ठ 3
30. दलित आन्दोलन पत्रिका 2010, पृष्ठ 7
31. दलित आन्दोलन पत्रिका 2011, पृष्ठ 3
32. रामचन्द्र बनौधा, डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, पृ0 12
33. रामचन्द्र बनौधा, डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, पृ0 35—37
34. दलित आन्दोलन पत्रिका 2009, पृष्ठ 3
35. रामचन्द्र बनौधा, डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, पृ0 47—49

36.रामचन्द्र बनौधा, डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, पृ0 82–91

37.रामचन्द्र बनौधा, डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, पृ0 93–102

38.दलित आन्दोलन पत्रिका 2011, पृष्ठ 7

39. अम्बेडकर वी0आर0, दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी सम्पूर्ण वाग्मय, वैल्यूम–20 पृष्ठ 139 से 142

40.दलित आन्दोलन पत्रिका 2009, पृष्ठ 4,5

41.जगमोहन पवार, डा0 भीमराव अम्बेडकर, एक परिचय– पृष्ठ 22,24

42.मणिबेन पटेल सरदार जी के विशिष्ट और अनोखे पत्र पृष्ठ 20

43.सरदार लेटर्स–मोस्टली अननोन वाल्यूम–2 पृष्ठ 301

44.के0 एम0 मुंशी इडिण्यन कान्स्टीट्यूशनल डाकूमेंट पृष्ठ 175–81

45.वी0 शंकर सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार खण्ड–2 पृष्ठ 179–80

46.दुर्गादास सम्पादित, सरदार पटेल का पत्र व्यवहार, खण्ड 10 पृष्ठ 90

47.वी0 शंकर पूर्वो, खण्ड–2, पृष्ठ 523

48.वीं0 शंकर पूर्वो, खण्ड–2 ,पृष्ठ 524–25

49.सेठ गोविन्ददास, सरदार पटेल, पृष्ठ 102

50.विष्णु प्रभाकर ,सरदार पटेल, पृष्ठ 62

51.दलित आन्दोलन पत्रिका 2011, पृष्ठ 3

52. रामचन्द्र बनौधा, डा0 अम्बेडकर का जीवन संघर्ष–पृ0 19

53.जी0 एम0 नन्दूरकर ,दिस वाज सरदार ''दि कमोमेरेटिव वाल्यूम' (अहमदाबाद 1947) वही पृष्ठ 195

54. अम्बेडकर वी0आर0–दलित एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक भागीदारी, सम्पूर्ण वाग्मय, वैल्यूम–17 पृष्ठ 148 से 152.

❑❑❑